

प्रार्थना पत्र संख्या
15/01/18

प्रवेश तिथि
09-01-2018

निर्णय दिनांक
10-04-2018

पंजाब नेशनल बैंक एक निगमित निकाय है। जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट-04 सेक्टर 04 द्वारका नई दिल्ली-110075 में स्थित व कार्यरत है और जिसकी शाखा कार्यालय-तिजारा जिला अलवर(राज0) में स्थित व कार्यरत है।
—प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेश कुमार यादव पुत्र श्री मनी राम यादव पता कृष्ण कॉलोनी वार्ड नं 3 तिजारा जिला अलवर
2. श्रीमति सर्वेश देवी पत्नी श्री राजेश कुमार यादव कृष्ण कॉलोनी वार्ड नं 3 तिजारा जिला अलवर
3. श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री जय सिंह यादव, ग्राम लुहादेरा पो0 बीरमपुर तहसील तिजारा अलवर

अप्रार्थीगण/ऋणी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्थोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्थूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमती सर्वेश देवी पत्नी श्री राजेश कुमार यादव के नाम से आवासीय सम्पति मकान जो खसरा नम्बर 871 कृष्ण कॉलोनी वार्ड नं0 3 तिजारा जिला अलवर राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन,ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 142.01 वर्ग गज है। चतुः सीमा उत्तर में पूरण सैनी की कृषि भूमि, दक्षिण में सडक, पूर्व में खाली प्लॉट, पश्चिम में सडक प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

page 1 of 2


जिला मजिस्ट्रेट
अलवर

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-


1.-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2.-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-04-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजेंद्र विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
page 2 of 2